भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4950

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु-संबंधी नुकसानों के लिए लंबित बीमा दावे

4950. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जलवायु के कारण हुए नुकसानों, विशेषकर तापमान के 32 डिग्री से अधिक होने के कारण फसलों को हुई क्षति के लिए विभिन्न कृषि बीमा योजनाओं के अंतर्गत लंबित बीमा दावों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर केरल में प्रभावित किसानों को अभी तक संवितरित की जाने वाली कुल राशि का ब्यौरा क्या है, तथा राज्यवार इन दावों पर कार्रवाई में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबित दावों के संवितरण में तेजी लाने तथा जलवायु के कारण कृषि में नुकसान का सामना कर रहे किसानों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार किसानों को जलवायु जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ 2016 सीजन से उपज सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है।

पीएमएफबीवाई को मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों की बुवाई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और बीमित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाता है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को प्रस्तुत प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों और प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र और राज्य सरकार के अपेक्षित हिस्से की प्राप्ति पर योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना सूत्र पर आधारित होता है। किसानों को इन दावों के संबंध में फसल के

नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि दावों की गणना क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है, इसलिए बाढ़, सूखा, उच्च तापमान, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे नुकसान का कोई विशेष कारण का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

पिछले छह वर्षों अर्थात् 2018-19 से 2023-24 के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों और किसानों को भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ग) एवं (घ): बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों (ऑपरेशनल गाइडलाइन्स) में प्रत्येक स्टेकहोल्डर की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न किए जाने, देरी से भुगतान किए जाने या कम भुगतान किए जाने, उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की राशि प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कर्मियों की तैनाती न किए जाने आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित रूप से कार्रवाई की गई।

दावों के भुगतान की प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने हेतु खरीफ 2022 से **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल आरंभ किया गया है। यह मॉड्यूल भारत सरकार को देय दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों की जानकारी देता है। इसका उपयोग दावों की निगरानी के लिए किया जाता है, जो पहले संभव नहीं था। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों को समय पर और पारदर्शी ढंग से प्रॉसेस किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो एनसीआईपी के माध्यम से ऑटो-कैल्युकेट करते हुए 12% का दंड स्वचालित रूप से लगा दिया जाता है। एनसीआईपी पर स्वत: गणना किए गए दंड के कार्यान्वयन का यह पहला सीजन है और विभाग इसके प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

लो.स.अता.प्र.सं.4950

अनुबंध

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत पिछले 6 वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक रिपोर्ट किए गए दावों और भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार विवरण (31.01.2025 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्ट किए गए कुल दावे	भुगतान किए गए कुल दावे
	(रुपए करोड़ में)	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.09
आंध्र प्रदेश	5,552.73	3,710.72
असम	671.30	631.01
छत्तीसगढ	5,769.22	5,764.12
गोवा	0.11	0.11
गुजरात	3,399.54	3,268.50
हरियाणा	7,674.09	7,622.18
हिमाचल प्रदेश	351.76	346.60
जम्मू एवं कश्मीर	124.34	117.84
झारखंड	818.10	806.52
कर्नाटक	11,346.38	11,198.78
केरल	***519.05***	***512.89***
मध्य प्रदेश	22,749.73	22,274.34
महाराष्ट्र	33,259.94	32,628.00
मणिपुर	6.27	6.22
मेघालय	9.52	9.10
ओडिशा	4,816.36	4,732.67
पुदुचेरी	33.98	32.45
राजस्थान	25,284.61	24,805.88
सिक्किम	1.10	0.56
तमिलनाडु	9,067.83	9,025.83
तेलंगाना	1,112.67	1,109.80
त्रिपुरा	6.93	6.34
उत्तर प्रदेश	4,467.13	4,393.30
उत्तराखंड	818.69	813.51
पश्चिम बंगाल	539.56	535.73
कुल (अखिल भारत)	**1,38,401.04**	**1,34,353.09**

*****